

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या— 20/2020

निर्णय दिनांक —10.06.2020

श्री रामेश्वर लाल पिता रतनलाल जाति रेगरआयु वयस्क निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।

— प्रार्थी

// बनाम //

1. श्री बद्रीलाल पिता अम्बालाल जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।
2. श्री भूरालाल पिता मिठ्ठुलाल जाति प्रजापत उम्र वयस्क निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0 ।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा मांगरोल पटवार हल्का मांगरोल तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 694 की आराजी नं0 2097रकबा 0.4800कुल किता 1 कुल रकबा 0.4800 हैक्टेयर की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 200/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा मांगरोल पटवार हल्का मांगरोल तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 694 की आराजी नं0 2097 रकबा 0.4800 कुल किता 1 कुल रकबा 0.4800 हैक्टेयर की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 10.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

